न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 358/2016
पंजीयन दिनांक 15.09.2016

(1). पुन्नी पुत्री कुशाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). गोपी पिता भैरू जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम राजोला तहसील हमीरगढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). रामलाल पिता कुशाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). उंकार पिता कुशाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 102/2015 निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). शान्तिलाल बसेर-अधिवक्ता अपीलांट
(2). सत्यनारायण गोस्वामी-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 - स्वयं
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

निर्णय **दिनांक** 11.07.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि वादिया अपीलांट व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि आराजीयात मौजा गोपालपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी सख्या 131,

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

7, 133, 134/666, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 कुल किता 14 कुल रकबा 2.42 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात पूर्व में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ,3 व वादिया अपीलांट के पिता स्वर्गीय कुशाल चमार के नाम खातेदारी में दर्ज थी । कुशाल चमार की मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीया अपीलांट खातेदार कुशाल चमार की पुत्री होकर उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस होने से वादिया अपीलांट ने उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे वादिया अपीलांट का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर वादिया अपीलांट स्वयं के 1/4 हक हिस्से की घोषणात्मक डिकी पारित करायी जाकर वादिया अपीलांट के हिस्से अनुसार उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन कराये जाने की प्राथमिक डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र प्रमाणित नहीं होना बताते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर वादिया अपीलांट का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादीया ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट वादिया ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित स्वयं के 1/4 हक हिस्से की घोषणा एवं बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट नारेला में रखी जाकर पत्रावली में सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये जाकर पक्षकारान को मौखिक आश्वासन दिया कि उनके हक व हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज की जावेगी परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी में वादिया अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया। वादिया अपीलांट का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात में हक व हिस्सा निहित होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पहले माता-पिता की संपत्ति में पुत्रियों को किसी प्रकार का

व अधिकार नहीं दिये गये है तथा प्रकरण में वादिया के पिता की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित नियम) 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व हो चुकी है, जिसको आधार मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया अपीलांट को उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात में उसके हक हिस्से से वंचित रखते हुए वादिया अपीलांट का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियों को पिता की संपत्ति में एक समान अधिकार प्राप्त है। प्रकरण रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु नियत था व पत्रावली में कोई जवाबदावा एवं साक्ष्य पेश नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट नारेला में रखी जाकर पक्षकारान के मध्य बिना लिखित राजीनामे के वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधी सम्मत नहीं होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की बहस सुनी दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर प्रमाणित नहीं होने से निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधी सम्मत होने से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट वादिया अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2016 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु नियत की गई जिसके लिए तारीख पेशी 28.09.2015 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.09.2015 से दिनांक 20.06.2016 को पत्रावली के लोक अदालत कैम्प नारेला में रखे जाने तक के मध्य की विभिन्न तारीख पेशीयों मे पत्रावली में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ और न ही प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण की तामील हुई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प नारेला मे रखी जाकर बिना जवाबदावे व पक्षकारान के मध्य बिना लिखित राजीनामे के अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
दिनोद (राज.)

का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की, जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 102/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जवाबदावा व साक्ष्य लिवायी जाकर, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तीन माह के भीतर, अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान दिनांक 16.08.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)